ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खंड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग-1

1 **प्रस्तावना (क)**:- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम , 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी (15) एलएडी /2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत , नेरी कोटली, विकास खंड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया|

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्न तालिका के अनुसार प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मीरा ठाकुर	1.04.2013 से 22.01.2016
2.	श्रीमती सुदेश	23.01.2016 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमेश चंद	01.04.2013 से 05.09.2013
2.	श्री कृष्ण गोपाल	06.09.2013 से 20.12.2013
3.	श्री बलदेव सिंह	21.12.2013 से 29.12.2014
4.	श्री अमर वर्मा	30.12.2014 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत, नेरी कोटली के लेखों का अवधि 04/2013 से 03/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	पैरा सं.	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	आई डब्लू एम् पी के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत व् तकनीकी मुल्यांकन में गडबडी से दुर्विनियोजन की आशंका	2.35
2.	6	अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त ब्याज को स्वयं के स्त्रोत की आय में	0.728

		हस्तांतरण न करना	
3.	**7**	आई डब्लू एम् पी व् मनरेगा के खातों से अनुदान से अधिक व्यय	0.33 (.07+.0.26)
4.	**8**	अस्थाई अग्रिम वर्ष 2009-10 से समायोजन हेतु शेष	0.42
5.	**9**	गृहकर की कम वसूली व् गृहकर की राशि का दुर्विनियोजन	0.046 (0.022 + 0.024)

भाग - दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :- ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री ब्रिजेन्द्र मोहन पुरी , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 01/10/2016 से 07/10/2016 तक ग्राम पंचायत, नेरी कोटली के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः 07/2013, 03/2014, 0 4/2014, 05/2014, 10/2015 व 01/2016 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैरों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: आर.ऐ.एस./एस.एल.एन./ जीपी/ऑडिट/2016-17 दिनाँक 07/10/2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, नेरी कोटली से अनुरोध कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :

क) ग्राम पंचायत नेरी कोटली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुदानों से प्राप्त आय को सम्मिलित करते हुए **<u>परिशिष्ट-"क-1"</u>** में दिए गए विवरण अनुसार थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित ब्यौरा **<u>परिशिष्ट-"क-2"</u>** में पृथक से भी सलंग्न है| **<u>पैरा संख्या 13</u>** में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत नेरी कोटली द्वारा संन्धारित रोकड बही में

इति शेष का कोई उल्लेख नही तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किये गए थे। अत: वित्तीय स्थिति हेतु बैंक पास बुक अनुसार ही इति शेष लेते हुए बैंक के साथ मिलान का प्रयास किया गया है|

ख) इस पैरे को आगामी पैर संख्या 7 के साथ पढ़ा जाये | मनरेगा से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 55510102322 (हि० प्र० स्टेट सहकारी बैंक, हाब्बन) व् बैंक खाता संख्या 342501000287 (बरोदा बैंक, राजगढ़) की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2015 को ग्राम पंचायत के स्तर पर योजना बंद होने पर इन खातो को बंद कर दिया गया जबकि वित्तीय स्थिति अनुसार तब तक उक्त बैंक खातों से ₹38405 का अधिक आहरण किया जा चुका था जिसमें से ₹19734 के मस्ट्रोल को नॉन क्लीयरिंग के कारण रोकड़ बही में वापिस भी ले लिया गया था (अर्थात 25.09.2013 को ₹1518, 25.09.2013 को फिर ₹1380, 13.11.2013 को ₹6210, 05.12.2013 को ₹3864, 18.12.2013 को ₹4830, 20.02.2014 को ₹1932=इस प्रकार कुल ₹19734)| परन्तु तब भी ₹18671 अधिक आहरण हुआ जिस बारे पंचायत सचिव द्वारा कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया | **उक्त अदायिगियों की नॉन क्लीयरिंग तथा बैंक खातों से अधिक आहरण की स्थिति में जाली मस्ट्रोल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता | अत: इस सम्बन्ध में आगामी जाँच विभागीय स्तर पर किये जाने की सिफारिश की जाती है |**

ग) आई.डब्लू.एम्.पी. खाते की वित्तीय स्थिति में वर्ष 2013-14 में ₹42,700 प्राप्ति शीर्षक के अधीन समायोजन के रूप में दर्शाए गए हैं| इस राशि में ₹37700 बतौर डब्लू डी ऍफ़ (वेलफेयर डेवपलमेंट फण्ड) जो की लाभार्थी परिवारों द्वारा श्रमदान है तथा ₹5000 प्रधान श्रीमती मीरा ठाकुर से अमानत/ उधार शामिल है जिसे उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में वापिस कर दिया गया|

घ) स्वयं की स्त्रोत की आय से सम्बन्धित खाते की वितीय स्थिति में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हि० प्र० स्टेट सहकारी बैंक, छोटा शिमला की सावधि जमा रसीद संख्या 1709292 (खाता संख्या 40630308960) दिनांक 21/08/2015 द्वारा प्राप्त ₹2,25,000 का अनुदान शामिल है जिसकी परिपक्वता तिथि 21/08/2017 व् परिपक्वता मूल्य ₹2,66,219 है अर्थात इस पर ब्याज ₹41219 है| परन्तु रोकड़ बही में पृष्ठ संख्या 53 पर पंचायत सचिव द्वारा इसे परिपक्वता मूल्य ₹2,66,219 पर दर्शा दिया गया जो कि अनुचित है| इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार वांछित है परन्तु वित्तीय स्थिति में इस मद की मूल राशि अर्थात ब्याज को छोड़कर ही लिया गया है|

अन्य सभी निधियों से सम्बंधित प्रकरण व् अनुदान बारे स्थिति **परिशिष्ट-"क-1 व् 2"** में दिए गए विवरण के अनुसार स्वत: ही स्पष्ट है |

5 आई.डब्लू.एम्.पी. के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत व् तकनीकी मुल्यांकन में गडबडी से लगभग ₹2.35 लाख से अधिक के दुर्विनियोजन की आशंका

क) निर्माण कार्य चैक डैम ग्रनिया खड्ड, ड्रेना की अनुमानित लागत व् तकनीकी मुल्यांकन में गडबडी से लगभग एक लाख से अधिक के दुर्विनियोजन की आशंका :-

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत को अतिरिक्त उपायुक्त एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सिरमौर द्वारा उनके पत्र संख्या डी.आर.डी.ए./आई. डब्लू.एम्.पी./2011-12 दिनांक 23.12.2011 द्वारा **परिशिष्ट-ख-(i) से (vi)** पर (मुल्यांकन रिपोर्ट परिशिष्ट- ख-vii से viii) सलंग्न अनुमान के आधार पर ₹6,93,600 स्वीकृत की गयी थी परन्तु उक्त अनुमान (जो कि थ्रू रेट पर तैयार किया गया था) की जाँच पर पाया गया कि सामग्री की अतिरिक्त लागत की गणना करते समय सीमेंट की मद (जो की बैगों में ली गयी थी) के बाज़ार दर व् एच.पी.एस.आर. 2009 की अन्तर की दर जो की प्रति टन की दर थी, से गुना कर उक्त कार्य की अनुमानित लागत में निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार ₹1,16,346 की बढ़ोतरी कर दी गयी जो कि अनुचित थी| वही वास्तव में खरीदे गए सीमेंट की मात्रा व् दर अनुमान से काफी कम होने के कारण अनुमानित लागत को निम्न तालिका में दिए गए विवरण अनुसार कुल ₹1,34,299 अधिक पाया गया|

Item **Qty**	**Prevailing Market Rate per ton as per estimate** **HPSR, 2009 Rate per ton** **Difference per ton**	**Extra Cost over and above through rate on which cost was estimated should have been**	**Extra Cost actually taken on this account in the estimate by multiplying Rs. 430 per ton difference in rate with 284.83 bags instead of quantity in tons**	**Amount included in excess**	**Cement actually purchased** **Rate** **Carriage per bag** **Actual expenditure on account of cement**	**Thus, actual prevailing market rate of cement was also much lower than the that of Rs. 5330 per ton taken in the estimate and with quantity purchased also being less the cost estimated was in excess by Rs. 134299 worked out as under**
	Rs.	**Rs.**	**Rs.**	**Rs.**		
Cement 14.25 Ton	5330 {Estimated Cost of	6128	1,22,474	1,16,346 **(B)**	250 (200 on 05.06.2013 and 50 on	**Cost estimated in excess on account of**

(284.83 Bags of 50 kg each)	Cement Rs. 5330*14.25 =75953} **(A)**				26.06.2013)	**cement= A+B-C** **<u>=Rs. 134299</u>**
	4900				Rs. 212 per bag /Rs. 4240 per ton	
	430				Rs. 25 per bag paid only for 200 bags on 05.06.2013	
					Rs. 58000 **(C)**	

उक्त के बावजूद भी इस कार्य के सन्दर्भ में कोई बचत नही रही बल्कि ₹6,93,600 की सम्पूर्ण राशि का व्यय किया गया क्योंकि पंचायत में अनुमानित राशि तक पूर्ण खर्च करने की प्रथा प्रचलित है| अत: इस निर्माण कार्य के अनुमान व् मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच के उपरांत निम्न टिप्पणिया भी अपेक्षित है:

1) अनुमान के अनुसार इस निर्माण कार्य में 984 किलोग्राम सरिया लगना था परन्तु वास्तव में 1304 किलोग्राम दिनांक 21.06.2012 को क्रय किया गया जबकि मुल्यांकन रिपोर्ट में सरिया की मात्रा 19 क्विंटल दर्शाई गयी है |
2) अनुमान के अनुसार इस निर्माण कार्य में रैंडम रब्बल मेशनरी की मद नहीं थी परन्तु मुल्यांकन रिपोर्ट में इस मद पर ही 1,23,121 रु दर्ज है|
3) अनुमान के समय लेबर एन्हांसमेंट 20% लगाया गया जबकि मूल्यांकन के समय 30% जोड़ा गया|
4) मुल्यांकन रिपोर्ट में सामग्री की अतिरिक्त लागत के रूप में रु 2,71,870 जोड़े गए हैं परन्तु इसका मदवार ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|
5) अनुमान के समय सीमेंट की बाज़ार दर इतना अधिक् लेने का कोई भी औचित्य नहीं था|
6) उक्त निर्माण कार्य से सम्बधित माप पुस्तिका अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गयी|
7) इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिकतर अदायिगियां नगद की गयी है |

उक्त परिस्थितियों में अनुमान के समय हुई त्रुटि का लाभ लेते हुए एक लाख से अधिक की अतिरिक्त स्वीकृति राशि के दुर्वियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| <u>अत: इस प्रसंग में विभागीय स्तर पर विस्तृत तकनीकी जांच की सिफारिश की जाती है |</u>

ख) <u>निर्माण कार्य कुहल स्नोहत से कोटली की अनुमानित लागत व् तकनीकी मुल्यांकन में गडबडी से लगभग ₹1.35 लाख से अधिक के दुर्विन्योजन की आशंका</u>

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत को **परिशिष्ट-ग-(i) से (iv)** पर <u>(मुल्यांकन रिपोर्ट परिशिष्ट-**ग**-v)</u> सलंग्न अनुमान के आधार पर ₹3,00,000 स्वीकृत की गयी थी| परन्तु उक्त **<u>पैरा 5 (क)</u>** में वर्णित प्रसंग जैसी स्थिति इस कार्य के

अनुमान व् मूल्यांकन रिपोर्ट की जाँच पर भी पाई गयी जिस बारे निम्न टिप्पणिया अपेक्षित है-

1) अनुमान के समय सामग्री की अतिरिक्त लागत की गणना करते समय सीमेंट की मद में ₹1,10,740 जोड़ी गयी है जबकि सीमेंट की बाज़ार दर ₹210 प्रति बैग ली गयी थी और अनुमान एच.पी.एस.आर., 2009 की ₹245 प्रति बैग की दर पर आधारित था| इस प्रकार अनुमान अनुसार 179 सीमेंट बैगो की खरीद पर ₹35 {245-210} प्रति बैग की बचत के कारण इस मद से सामग्री की अतिरिक्त लागत कि गणना में ₹6265 [अर्थात 179 x 35] की कमी की जानी अपेक्षित थी | परन्तु ऐसा न कर अनुमानित लागत में ₹1,17,005 (अर्थात 1,10,740+6,265) की अनुचित वृद्धि दर्ज कर दी गयी|
2) सीमेंट की वास्तविक खरीद 175 बैग ₹212 प्रति बैग अर्थात ₹37100, ₹5250 बतौर कारेज व् ₹7000 ढुलाई (₹40 प्रति बैग) मिलाकर इस मद पर कुल खर्च ₹49,350 था जबकि 245 की अनुमानित दर से 175 बैग पर यह ₹42875 (175 x 245) बनती है | इस प्रकार इस मद ने वास्तव में अनुमानित लागत में ₹6475 की वृद्धि की तथा इस प्रकार अनुमान वास्तविक खरीद पर भी ₹1,04,265 (110740 - 6475) अधिक पाया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है|
3) अनुमान के अनुसार इस निर्माण कार्य में रैंडम रब्बल मेशनरी की मद नहीं थी | परन्तु मुल्यांकन रिपोर्ट में इस मद पर ही ₹91,479.74 दर्ज है तथा इस कार्य हेतु 30 चट्ठे पत्थर ₹2,000 प्रति चट्ठे की दर से क्रय किये गए तथा इसके लिए ₹60,000 का नगद भुगतान श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री जगमोहन सिंह, ग्राम डरना डा. शय चबरोंन को माह 05/2013 में किया गया | यहाँ ये भी उल्लेख किया जाता है कि इसके आस पास की गयी खरीद ₹1550 प्रति चट्ठे की दर से हो रही थी | इस प्रकार इस मद पर अधिक अदाएगी दर्शाए जाने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता |
4) इस कार्य हेतु 7/2013 में ₹87,090 बतौर मस्ट्रोल अदायगी की गयी |
5) इस कार्य हेतु 850 बैग रेत 48 रु प्रति बैग की दर से तथा 450 बैग रोड़ी ₹55 प्रति बैग की दर से क्रय किया गया तथा इन दोनों की ढुलाई हेतु ₹30 प्रति बैग अदा किये गए| सीमेंट की ढुलाई मिलाकर कुल ₹46000 श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री हेत राम, डा. शय चबरोंन, तहसील राजगढ़ को **<u>एक बिना दिनांक की रसीद</u>** लेकर अदा की गई दर्शाई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये | <u>यहाँ ये भी उल्लेख किया जाता है कि रेत तथा रोड़ी की क्रय की गयी मात्रा अनुमान अनुसार सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि रेत रोड़ी की तुलना में आधी क्रय की जानी अपेक्षित थी|</u>
6) इस कार्य हेतु आवश्यक फॉर्म वर्क के किराये पर लेने से सम्बन्धित कोई अदायगी नही की गई थी परिणामस्वरूप इस मद को भी लेबर रेट ही लेकर अनुमान/ मूल्यांकन में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित था | इस प्रकार भी इस मद पर 35000 से अधिक का व्यय अनुमानित/ मूल्यांकित है |

7) मूल्यांकन रिपोर्ट में सामग्री की अतिरिक्त लागत के रूप में ₹2,06,870 जोड़े गए हैं परन्तु इसका मदवार ब्यौरा अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया|

8) उक्त निर्माण कार्य से सम्बधित माप पुस्तिका अंकेक्षण को नहीं दर्शाई गयी|

उपरोक्त परिस्थितियों में अनुमान के समय हुई त्रुटि का लाभ लेते हुए ₹1.35 लाख से अधिक की राशि के दुर्वि नियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| अत: इस प्रसंग में विभागीय स्तर पर विस्तृत तकनीकी जांच की सिफारिश की जाती है| साथ ही क्योंकि इन दोनों कार्यों के अनुमान एक ही कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किये गए थे अत: उनके निरिक्षण में किये गए सभी कार्यों की सम्पूर्ण जाँच हेतु विभागीय स्तर पर कारवाई अपेक्षित है |

6 अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹0.73 लाख को स्वयं के स्त्रोत की आय में हस्तांतरण न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व् भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम- 3 के कोड संख्या 1 से 50 में संदर्भित स्त्रोत से प्राप्त आय को पंचायत के स्वयं के स्त्रोत की आय माना गया है तथा **खाता - ए** में शामिल किया गया है | इसी प्रकार नियम 3 के कोड संख्या 51 से 99 जिसमें विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व् ऋण शामिल हैं, **खाता-बी** Bमें रखा गया है तथा खाता-बी पर प्राप्त होने वाले ब्याज अर्थात अनुदानों व् ऋणों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रतिवर्ष जनवरी व् जुलाई माह में **खाता-ए** (स्वयं के स्त्रोत की आय) में हस्तांतरित किया जाने का प्रावधान है| अत: ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों पर प्राप्त हुई ब्याज ₹**72,841/-**. जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, को स्वयं के साधनों से प्राप्त आय में हस्तांतरित न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कारवाई की जाए तथा अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	**योजना का नाम**	**वर्ष**			**कुल योग**
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**	
1.	इंदिरा आवास योजना	7049	9093	5889	22031
2.	अटल / राजीव आवास योजना	1308	979	231	2518
3.	IWMPआई डबलू ऍम पी	5988	4873	3184	14045
4.	बी.आर.जी.एफ.	3518	5473	3828	12819
5.	पी. एम्. जी. वाये.	6735	11503	3190	21428
	कुल योग	**24598**	**31921**	**16322**	**72841**

नोट:- क्योंकि **मनरेगा योजना** दिनांक 31/03/2015 को बंद हो गई थी इसलिए उससे सम्बन्धित ब्याज की राशि का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है |

7 <u>वास्तविक प्राप्त अनुदान से अधिक का व्यय:-</u>

सचिव, ग्राम पंचायत, नेरी कोटली द्वारा अनुदानों के संदर्भ में **<u>परिशिष्ट-"क-2"</u>** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न निधियों/ योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक का व्यय कर दिया गया है -

क्रम.सं०	**योजना का नाम**	**वर्ष**	**अतिरिक्त व्यय राशी (रु)**
1	**IWMPआई डबलू ऍम पी**	2014-15	23628
		2015-16	7010
2	**मंनरेगा**	2013-14	40104
		2014-15	25874

प्राप्त राशि से अधिक व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए **IWMPआई. डबलू.ऍम.पी.** के अंतर्गत अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयास किये जायें तथा अंकेक्षण को कृत कारवाई से अवगत करवाया जाये | जबकि **मंनरेगा** योजना के सम्बन्ध में जो की पंचायत स्तर पर दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो चुकी है यह एक गम्भीर अनियमतता है तथा जैसा की **<u>पैरा संख्या 4 (ख)</u>** में वर्णित प्रसंग में पहले ही लिखा जा चुका है इस मामले की आगामी जाँच विभागीय स्तर पर किये जाने की सिफारिश की जाती है |

8 <u>₹0.42 लाख के अस्थाई अग्रिम का वर्ष 2009-10 से समायोजन न करवाना :-</u>

सचिव, ग्राम पंचायत, नेरी कोटली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31/03/2016 को ₹42000/- अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु शेष थी। यह राशि वर्ष 2009-10 में श्रीमती मधुबाला को बतौर अग्रिम वितरित की गयी थी| इस अग्रिम राशि के समायोजन हेतु पिछले कई वर्षों से कोई भी कारवाई अमल में नहीँ लाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसके समायोजन के लिये आवश्यक कारवाई शीघ्र अति शीघ्र सुनिशचित की जाये अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित से दंड ब्याज सहित वसूल कर पंचायत निधि/कोष में जमा करवाई जाए तथा अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये |

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा अग्रिम से संबधित पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में पंचायत में असमायोजित अग्रिम की वास्तविक राशि उक्त राशि से

अधिक होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता | अत: पंचायत सचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें |

9 **<u>पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1770 गृह कर की कम वसूली तथा ₹2360 की आय का पंचायत सचिव द्वारा दुर्विनयोजन:</u>**

(क) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, नेरी कोटली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹1770 बतौर ग्रहकर की कम वसूली की गई है:-

वर्ष	कुल परिवार	दर प्रति वर्ष	माँग	पिछली बकाया राशि	कुल वसूली योग्य राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
2013-14	300	25/-	7500	ज्ञात नहीं	7500	6980	520
2014-15	320	25/-	8000	520	8520	शून्य	8520
2015-16	330	25/-	8250	8520	16770	15000	1770

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा **<u>ग्रहकर की दर अनुमोदन बारे</u>** ग्राम सभा के प्रस्ताव से अवगत नहीं करवाया गया तथा न ही ग्रहकर से संबधित **<u>"मांग एंवम वसूली पंजी</u>** का संधारण किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता | अत: पंचायत सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन कर संबधित परिवारों से वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में **<u>मांग एंवम वसूली पंजी</u>** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय राशि का तुरंत बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो |

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि रसीद बुक संख्या 1962 के माध्यम से निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹3340 एकत्रित की गयी थी | परन्तु इस राशि में से केवल ₹980 ही रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 23 पर रसीद संख्या 20 से 68 का सन्दर्भ देते हुए दर्ज की गई | इस प्रकार ₹2360 दुर्विनयोजित कर ली गयी

जिसकी सम्बन्धित सचिव से दण्ड ब्याज सहित वसूली कर तुरन्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाये |

रसीद बुक संख्या 1962 की रसीद संख्या के सन्दर्भ	**दिनांक**	**मद**	**दर**	**एकत्रित राशि**
1 से 18	दर्ज नहीं	ग्रह कर	10/-	180
19	15.02.2012	विवाह दान	-	100
20 से 93	20 से 68 में दर्ज नहीं, 69 से 79 पर 07.09.2013, 80 से 84 पर 17.09.2013, 87 से 93 पर 02.10.2013	ग्रह कर	40/-	2960
94	दर्ज नहीं	विवाह दान	40/-	40
95 व् 96	**यह रसीदे रिक्त पाई गयीं**			
97	07.01.2015	परिवार रजिस्टर की प्रति	20/-	20
98	07.03.2015	विवाह प्रमाण पत्र	20	20
99 व् 100	07.04.2015	परिवार रजिस्टर की प्रति	10	20
			कुल एकत्रित राशि	**3340**
			रोकड़ बही में दर्ज राशि	**980**
			दुर्विनयोजित राशि	**2360**

10 सामान्य निधि से संबधित बचत बैंक खाता संख्या 5 6310100027 के अवलोकन पर पाया गया कि इस बैंक खाते में औसतन ₹5 से 7 लाख तक की शेष राशि थी | इस प्रकार निधि को सुविनियोजित ढंग से प्रयोग/निवेश न करने के कारण निधि को ब्याज के रूप में निरंतर नुकसान हो रहा है| यदि बैंक में जमा राशि को पंचायत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि को **अल्प अवधि की सावधि जमा योजना** (STDR) में निवेश किया जाता तो उक्त निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सकता था| अत: पंचायत सचिव को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये जायें ताकि भविष्य में पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय का सृजन हो सके|

11 सामान्य निधि के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, नेरी कोटली को वर्ष 2013-14 व 2014-15 में क्रमशः ₹4,271 तथा ₹5,208 बतौर **शराब कर/ लाईसेंस फीस** की प्राप्ति हुई थी जबकि वर्ष 2015-16 में इस मद से कोई भी आय की प्राप्ति नहीं हुई हैं | अतः उक्त वर्ष की "**शराब कर/ लाईसेंस फीस**" की आय के अर्जन हेतु

“**आबकारी एवं कराधान विभाग** ” से आवश्यक पत्राचार किया जाये तथा कृत अनुपालना उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये|

11 <u>ग्राम पंचायत/ग्राम सभा कार्यवाही पंजीका का उचित तरीके से संधारण न किया जाना तथा इस पंजी का सम्भावित दुरूपयोग :-</u>

जैसा की **<u>पैरा संख्या 17</u>** में उल्लेख किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत नेरी कोटली द्वारा व्यय से सम्बन्धित वाउचरों में नियमानुसार अपेक्षित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के सम्बधित प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अंकेक्षण के दौरान **<u>“ग्राम सभा एंवम ग्राम पंचायत कार्यवाही पंजी</u>** ” का विशेष अवलोकन किया गया | इस दौरान यह पाया गया कि इस पंजी में कोई पृष्ठ संख्या दर्ज नहीं थी तथा विभिन्न स्थानों/पृष्ठों में उपस्थित पदाधिकारियों /सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही की प्रविष्टि शुरू होने के स्थान पर ही दर्ज किए जा रहें जबकि ये ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों के उल्लेखन उपरान्त करवाए जाने अपेक्षित थे ताकि पंचायत प्रधान एंवम पंचायत सचिव द्वारा अपने स्तर पर किसी प्रस्ताव को पारित न दर्शा दिया जाए | उक्त पंचायत के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति की सम्भावना से बिल्कुल भी इन्कार नहीं किया जा सकता विशेष तौर पर तब पंजी में कई पृष्ठ रिक्त पाए गए जैसा की निम्न तालिका में उल्लेख किया गया है तथा खाली पृष्ठो पर भी पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर पाए गए हैं :-

<u>क्रम संख्या</u>	**<u>सभा की तिथि</u>**	**<u>ग्राम पंचायत / ग्राम सभा</u>**	**<u>रिक्त पृष्ठों / अन्य आपत्तिजनक प्रकरणों का ब्योरा</u>**
1.	07.04.2013	ग्राम सभा	प्रस्ताव न. के बाद 1.5 पृष्ठ खाली|
2.	07.07.2013	ग्राम सभा	प्रस्ताव 2 के बाद 0.5 पृष्ठ खाली तथा प्रस्ताव 3 के बाद 1.5 पृष्ठ खाली|
3.	04.01.2015	ग्राम सभा	प्रस्ताव 1 के बाद 0.5 पृष्ठ खाली, तथा प्रस्ताव 7 के बाद 0.5 पृष्ठ खाली तथा प्रस्ताव 9 के बाद 1.5 पृष्ठ खाली|
4.	07.01.2015	ग्राम पंचायत	बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में व् अन्यथा कोई टिप्पणी दर्ज नहीं पाई गई| केवल खाली पृष्ठ पर प्रधान, उपप्रधान व् 5 वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर पाए गए|
5.	08.02.2015	ग्राम सभा की विशेष बैठक	बैठक की कार्यवाही व् अन्यथा बारे कोई टिप्पणी दर्ज नहीं पाई गई| केवल खाली पृष्ठ हस्ताक्षर पाए गए|
6.	22.07.2015	ग्राम पंचायत	बैठक की कार्यवाही व् अन्यथा बारे कोई टिप्पणी दर्ज नहीं पाई गई| केवल खाली पृष्ठ पर हस्ताक्षर पाए गए|
7.	23.07.2015	ग्राम सभा	बैठक की कार्यवाही व् अन्यथा बारे कोई टिप्पणी दर्ज नहीं पाई गई| केवल खाली पृष्ठ पर 38 हस्ताक्षर पाए गए|
8.	07.12.2015	ग्राम पंचायत	बैठक की कार्यवाही व् अन्यथा बारे कोई टिप्पणी दर्ज नहीं पाई गई| केवल खाली पृष्ठ पर हस्ताक्षर पाए गए तथा 2 पृष्ठ खाली पाए गए|
9.	22.12.2015	ग्राम पंचायत	प्रस्ताव संख्या 4 के बाद 1.25 पृष्ठ रिक्त पाए गए|

उक्त कोताही विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है तथा यह परामर्श दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण लेते हुए भविष्य में इस प्रथा को बंद किया जाना शीघ्र अतिशीघ्र सुनिशचित किया जाए |

13 रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम , 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है| रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है जबकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष| ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती| इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष| ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता|

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चैक जारी करने का रजिस्टर
4. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
5. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
6. चैक प्राप्ति रजिस्टर
7. अग्रिमों का रजिस्टर
8. रसीद बुकों का रजिस्टर
9. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
10. विकास कार्यों का रजिस्टर

11.　　स्टोर व् स्टाक रजिस्टर

15 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u>** :

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए स्टोर व् स्टाक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए | यद्यपि सचिव द्वारा अंकेक्षण के समय प्रस्तुत प्रधान से सत्यापित स्टॉक सूचि अंकेक्षण पत्र के साथ "**<u>परिशिष्ट घ</u>**" पर संलग्न है जो कि स्टोर व् स्टाक रजिस्टर के अभाव में विशवसनीय प्रतीत नहीं होती | अत: सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई अमल में लायी जानी अपेक्षित है |

16 **<u>बिना तिथि इंगित किये रसीदों का जारी किया जाना, रसीद बुकों का क्रमवार उपयोग न किया जाना तथा इनका सम्भावित दुरूपयोग :-</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, नेरी कोटली के पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है तथा रसीद बुकों का उपयोग भी क्रमवार/तिथिवार नहीं किया जा रहा है | उदाहरण के तौर पर रसीद बुक संख्या 1961 की रसीद संख्या 19 दिनांक 19/09/2012 को प्रयुक्त हुई जबकि अगली रसीद संख्या 20 दिनांक 09/09/2013 को निर्गमित की गई तथा इसी रसीद बुक की रसीद संख्या 25 व् 26 कर्मश: 05/04/2013 व् 20/09/2013 को निर्गमित की गई जबकि 2012 से 2015 के दौरान अन्य रसीद बुकों का उपयोग भी जारी था | इसी प्रकार रसीद बुक संख्या 2168 में केवल एक रसीद संख्या 000020 ही प्रयुक्त हुई जबकि शेष रसीद बुक का उपयोग नहीं किया गया | इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि बिना तिथि इंगित किये भी रसीदे जारी की गयी हैं जैसा कि **पैरा संख्या -9 ख** में वर्णित प्रसंगों से स्पष्ट है जबकि इसके अतिरिक्त रसीद बुक संख्या 1943, 1944 व् 1945 में भी समस्त रसीदे बिना तिथि इंगित किये ही जारी की गयी थी | यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि रसीद बुको का नियमानुसार उपयोग नहीं किया जा रहा है | ऐसी स्थिति में आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है जैसा की **पैरा संख्या -9 ख** में वर्णित गृहकर से सम्बन्धित आय के प्रकरण में पाया गया जबकि अर्जित आय को खातों में देरी से लेखाबद्ध कर अल्पकालीन दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता | अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायत सचिव का स्पष्टीकरण वांछित है तथा उन्हें निर्देश देते हुए नियमानुसार सम्बन्धित स्टॉक पंजी का संधारण तथा रसीदों का समुचित उपयोग करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी करें|

17 अंकेक्षण अवधि में पाया गया की ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में अधिकतर व्यय वाउचर पारित नहीं करवाए गए थे जिस कारण व्यय प्रमाणकों पर पंचायत द्वारा व्यय पारित प्रस्ताव संख्या व् दिनांक अंकित नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम संख्या 7 (1) अनुसार प्रत्येक प्रमाणक पर प्रस्ताव संख्या व् दिनांक अंकित होनी चाहिए, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया होगा | पंचायत सचिव भविष्य में प्रत्येक व्यय प्रमाणक को पंचायत की मासिक बैठकों में पारित करवाना सुनिश्चित करें व् उसके उपरान्त प्रत्येक व्यय प्रमाणक पर पंचायत द्वारा व्यय पारित प्रस्ताव संख्या व् दिनांक अंकित किया करें |

18 अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो विकास कार्यों को करवाने हेतु सामान क्रय किया गया था उसमें अधिकतर समान को क्रय करने से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई जो की अनियमित है | पंचायत इस बारे स्पष्ट करें कि विकास कार्यों हेतु समान क्रय करने से पूर्व निविदाएँ क्यों आमंत्रित नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार प्रत्येक स्टॉक सामान जिसका मूल्य ₹3000 से अधिक है को क्रय करने से पूर्व न्यूनतम 3 निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों पर क्रय का लाभ प्राप्त हो सकता| पंचायत भविष्य में सामान क्रय करने से पूर्व हि.प्र. पंचायती राज वित नियम, 2002 के नियम 67 में दिए गए प्रावधान की अनुपालना करें |

19 **लघु आपत्ति विवरणिका :** पृथक से जारी नही कि गयी यद्यपि इस सम्बन्ध में वाँछित कारवाई पंचायत सचिव को आवश्यक दिशानिर्देश दे मोके पर ही करवा ली गयी |

20 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा पंचायत सचिव को लेखों के उचित संधारण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाने की भी नितांत आवश्यकता है तथा पैरा संख्या 4, 5 व् 7 में वर्णित गम्भीर अनिय मतताओ के दृष्टिगत आगामी विभागीय/ तकनीकी जाँच की सिफारिश की जाती है |

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(10) 6/2017–खण्ड–1–1118–1121 दिनाँकः18.02.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नेरी कोटली, विकास खण्ड राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर

उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.